भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग
लोक सभा
तारांकित प्रश्न संख्या 133
09 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: तमिलनाडु में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का कार्यान्वयन
***133. श्री जी. सेल्वमः**
श्री सी. एन. अन्नादुरईः

क्या **कृषि और किसान कल्याण मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या तमिलनाडु में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) को प्रभावी ढंग से कार्यान्वित किया जा रहा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) विगत तीन वर्षों के दौरान तमिलनाडु में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत कितने किसानों का नामांकन किया गया है और जिला-वार कुल कितने क्षेत्र और फसल मूल्य का बीमा किया गया है;
(ग) क्या तमिलनाडु में सटीकता में सुधार लाने और हानि के आकलन में विवादों को कम करने के लिए उपग्रह चित्र, ड्रोन आधारित उपज अनुमान या डिजिटल फसल कटाई प्रयोगों जैसी प्रौद्योगिकी को अपनाया गया है और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले हैं; और
(घ) सरकार द्वारा तमिलनाडु में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत फसल की क्षति का आकलन करने और बीमा दावों के संवितरण में अधिक पारदर्शिता, त्वरित दावा प्रसंस्करण, वास्तविक समय पर निगरानी और बेहतर शिकायत निवारण सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)

(क) से (घ) : विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"तमिलनाडु में प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) का कार्यान्वयन" के संबंध में लोकसभा में दिनांक 09 दिसंबर, 2025 को उत्तरार्थ तारांकित प्रश्न संख्या 133 के भाग (क) से (घ) के संबंध में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख) : जी हाँ। तमिलनाडु उन प्रमुख राज्यों में से एक है जो वर्ष 2016-17 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (PMFBY) की शुरुआत से ही इस योजना को कार्यान्वयन कर रहा है। राज्य में किसानों द्वारा वर्ष 2024-25 तक भुगतान किए गए 1,396.75 करोड़ रुपये के प्रीमियम के एवज में 178.55 लाख किसान आवेदनों के लिए 15,488.07 करोड़ रुपये के दावों का भुगतान किया गया है। तमिलनाडु राज्य में पिछले तीन वर्षों के दौरान PMFBY के अंतर्गत नामांकित किसानों की कुल संख्या, बीमित क्षेत्र और बीमित राशि का जिलावार विवरण **अनुबंध** पर दिया गया है।

(ग) और (घ) : बीमा मॉडल का चयन, पारदर्शी बोली प्रक्रिया के माध्यम से बीमा कंपनियों का चयन, किसानों का नामांकन, स्वीकार्य दावों की गणना हेतु फसल उपज/फसल नुकसान का आकलन और भुगतान सीधे किसान के खाते में करने के लिए राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) पर थ्रेसहोल्ड उपज एवं वास्तविक उपज अपलोड करने जैसे सभी प्रमुख कार्य संबंधित राज्य सरकार या राज्य सरकार के अधिकारियों और संबंधित बीमा कंपनी की संयुक्त समिति द्वारा किए जाते हैं। योजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए प्रत्येक हितधारक की भूमिका और दायित्व योजना के परिचालन दिशानिर्देशों में परिभाषित की गई हैं।

भारत सरकार ने इस स्कीम के तहत वर्ष 2023-24 से सटीक फसल क्षति और नुकसान आकलन और पारदर्शिता के लिए निम्नलिखित तकनीकों का कार्यान्वयन किया जा रहा है:

I. **यस-टेक (प्रौद्योगिकी आधारित उपज अनुमान प्रणाली)** से रिमोट-सेंसिंग आधारित उपज अनुमान को क्रमिक रूप से अपनाया जाएगा ताकि उपज का आकलन करने के साथ-साथ स्पष्ट और सटीक फसल उपज अनुमान लगाने में सहायता मिल सके। यह पहल खरीफ 2023 से धान और गेहूँ की फसलों के लिए शुरू की गई है, जिसमें उपज अनुमान में 30% भारांश अनिवार्य रूप से यस-टेक से प्राप्त उपज को दिया जाएगा। सोयाबीन की फसल को खरीफ 2024 सीज़न से जोड़ा गया है।

II. **विंड्स (मौसम सूचना नेटवर्क और डेटा प्रणाली)** स्वचालित मौसम केंद्रों (AWS) और स्वचालित वर्षामापी यंत्र (ARG) का नेटवर्क स्थापित करेगा जो मौजूदा नेटवर्क से पाँच गुना बड़ा होगा और ग्राम पंचायत एवं ब्लॉक स्तर पर हायपर लोकल वेदर डाटा एकत्र करेगा। इसे भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) के समन्वय से अंतर-संचालनीयता और डेटा साझाकरण के साथ एक राष्ट्रीय डेटाबेस में डाला जाएगा। विंड्स न केवल यस-टेक के लिए, बल्कि प्रभावी सूखा एवं आपदा प्रबंधन, सटीक मौसम पूर्वानुमान और बेहतर पैरामीट्रिक बीमा उत्पादों की पेशकश के लिए भी डेटा प्रदान करता है।

तमिलनाडु रबी 2023-24 से धान के लिए यस-टेक कार्यान्वित कर रहा है। इसके अलावा, सरकार ने पारदर्शिता लाने और दावों का समय पर निपटान सुनिश्चित करने के लिए तमिलनाडु सहित पूरे भारत में इस स्कीम के कार्यान्वयन को सुदृढ़ करने के लिए कई कदम उठाए हैं:

- सरकार ने किसानों के सीधे ऑनलाइन नामांकन सहित सब्सिडी भुगतान, समन्वय, पारदर्शिता, सूचना के प्रसार और सेवाओं की डिलीवरी, बेहतर निगरानी के लिए एकल बीमित किसान का विवरण अपलोड/प्राप्त करने और व्यक्ति विशेष किसान के बैंक खाते में इलेक्ट्रॉनिक रूप से

दावा राशि का अंतरण सुनिश्चित करने के लिए केवल एकल डेटा स्रोत के रूप में **राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP)** विकसित किया है।

- दावा वितरण प्रक्रिया की कड़ी निगरानी के लिए, खरीफ 2022 से दावों के भुगतान हेतु **'डिजिक्लेम मॉड्यूल'** नामक एक समर्पित मॉड्यूल चालू किया गया है। इसमें NCIP को सार्वजनिक वित्त प्रबंधन प्रणाली (PFMS) और बीमा कंपनियों की लेखा प्रणाली के साथ एकीकृत किया गया है ताकि सभी दावों का समय पर और पारदर्शी तरीके से निपटान किया जा सके।
- प्रीमियम सब्सिडी में केंद्र सरकार के हिस्से को राज्य सरकारों के हिस्से से डीलिंक कर दिया गया है ताकि किसानों को केंद्र सरकार के हिस्से से संबंधित आनुपातिक दावे प्राप्त हो सकें।
- PMFBY के प्रचालन दिशानिर्देशों के अनुसार, यदि बीमा कंपनी द्वारा समय पर भुगतान नहीं किया जाता है, तो खरीफ 2024 से राष्ट्रीय फसल बीमा पोर्टल (NCIP) के माध्यम से 12% का जुर्माना स्वतः गणना करके लगाया जाता है।
- इसी प्रकार, यदि राज्य सरकार निर्धारित समयावधि से प्रीमियम सब्सिडी देने में देरी करती है, तो उन्हें भी 12% का जुर्माना देना होगा।
- वर्ष 2025-26 से ट्रांच बेस्ड दावा भुगतान शुरू कर दिया गया है।
- इसके अतिरिक्त, स्कीम के कार्यान्वयन में प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने की दिशा में, सीसीई-एग्री ऐप के माध्यम से उपज डेटा/फसल कटाई प्रयोग (CCE) डेटा को कैप्चर करना और इसे NCIP पर अपलोड करना, बीमा कंपनियों को CCE के संचालन को देखने की अनुमति देना, NCIP के साथ राज्य भूमि रिकॉर्ड को एकीकृत करना आदि जैसे विभिन्न कदम पहले ही उठाए जा चुके हैं ताकि किसानों के दावों का समय पर निपटान हो सके।

यह स्कीम राज्य सरकार द्वारा क्रियान्वित की जाती है, इसलिए बीमित किसानों के दावों से संबंधित शिकायतों सहित वाद/शिकायतों के समाधान हेतु, स्कीम के संशोधित प्रचालन दिशानिर्देशों में स्तरीकृत शिकायत निवारण तंत्र अर्थात जिला स्तरीय शिकायत निवारण समिति (DGRC), राज्य स्तरीय शिकायत निवारण समिति (SGRC) का प्रावधान किया गया है। इन समितियों को शिकायतों की सुनवाई करने और निर्धारित प्रक्रिया के अनुसार उनका निपटान करने के लिए व्यापक अधिदेश दिए गए हैं जिसका विस्तृत उल्लेख प्रचालन दिशानिर्देशों में दिया गया है।

शिकायत निवारण तंत्र को और बेहतर बनाने के लिए, कृषि रक्षक पोर्टल और हेल्पलाइन (KRPH) विकसित की गई है। एक अखिल भारतीय टोल-फ्री नंबर 14447 शुरू किया गया है और इसे बीमा कंपनियों के डेटाबेस से जोड़ा गया है, जहाँ किसान अपनी शिकायतें/समस्याएँ दर्ज करा सकते हैं। इन शिकायतों/समस्याओं के समाधान की समय-सीमा भी निर्धारित की गई है।

विभाग सभी स्टेकहोल्डर्स के साथ साप्ताहिक वीडियो कॉन्फ्रेंस, व्यक्तिगत बैठकों और राष्ट्रीय समीक्षा सम्मेलनों के माध्यम से दावों के समय पर निपटान सहित बीमा कंपनियों के कामकाज की नियमित निगरानी कर रहा है।

अनुबंध

PMFBY: तमिलनाडु में 2022-23 से 2024-25 तक नामांकित आवेदनों, बीमित क्षेत्र और बीमित राशि का जिलावार विवरण (31 अक्टूबर, 2025 तक)			
ज़िला (तमिलनाडु)	**नामांकित आवेदन (संख्या)**	**बीमित क्षेत्र (लाख हेक्टेयर में)**	**कुल बीमित राशि (राशि करोड़ में)**
अरियालुर	5,22,616	0.78	555.67
चेंगलपट्टू	40,121	0.08	67.83
कोयंबटूर	3,400	0.02	13.88
कुड्डालोर	12,82,110	3.01	1,911.49
धर्मपुरी	63,444	0.21	185.96
डिंडीगुल	34,155	0.16	89.64
इरोड	7,347	0.02	24.79
कल्लाकुरिची	6,04,288	1.13	636.94
कांचीपुरम	1,14,987	0.22	183.12
कन्याकुमारी	9,861	0.02	20.68
करूर	39,583	0.15	129.83
कृष्णागिरी	9,926	0.03	26.66
मदुरै	1,09,783	0.31	208.36
मयिलादुथुराई	11,43,675	3.34	2,133.16
नागपट्टिनम	9,95,475	2.62	1,769.61
नमक्कल	1,10,168	0.45	153.44
पेरम्बलुर	6,61,068	1.45	821.70
पुदुक्कोट्टई	8,87,219	1.86	1,556.45
रामनाथपुरम	17,48,640	4.11	2,476.01
रानीपेट	1,25,845	0.29	235.73
सलेम	63,222	0.20	140.08
शिवगंगा	10,07,166	1.86	1,375.96
तेनकासी	3,37,676	1.02	442.86
तंजावुर	14,94,980	3.44	3,065.81
नीलगिरी	449	0.00	2.91
थेनी	1,760	0.01	5.65
थिरुवल्लूर	25,25,835	6.86	4,948.40
तिरुचिरापल्ली	4,27,007	1.02	802.71
तिरुनेलवेली	71,070	0.21	98.50
तिरुपथुर	37,345	0.09	71.32
तिरुप्पुर	6,050	0.04	32.40
तिरुवन्नामलाई	3,03,584	0.73	566.33
तूतीकोरिन	9,63,008	4.53	1,677.64
वेल्लोर	5,063	0.01	10.28
विल्लुपुरम	7,23,778	1.50	1,107.52
विरुधुनगर	4,79,817	1.69	827.31
कुल (तमिलनाडु)	1,69,61,521	43.47	28,376.61

*****